FORM NO. III
फर्दअहकाम
(नियम– 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर धोरीमन्ना–बाड़मेर

उनवानः सताराम बनाम कोहलाराम — **प्रा0पत्रसं0 19/2025**

GCMS NO 2025/36

किस्म मुकदमाः– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188, 209राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेशिका	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
05.02.2025	वादी के वकील श्री देवाराम चौधरी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज होकर दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड एडी से तलब होकर पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी का इंतजार होकर आज पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 21.03.2025 को पेश हो। (भागीरथराम) सहायक कलक्टर धोरीमन्ना	
21.3.25	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। वादी स्वयं एवं वादी वकील को आज न्यायालय समय में रुक रुक कर अलग-2 समय में तीन बार आवाज दिलवाई गई लेकिन कोई उप० नहीं। वादी मय वादी वकील उक्त वाद में कोई कार्यवाही की इच्छा नहीं रखते होंगे। चूंकि पत्रावली तलबी के प्रारंभिक स्तर पर ही लंबित है। अतः वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 CPC [illegible] वाद को अदम हाजरी व अदम [illegible] में खारिज किया जाता है। [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:16:30 IST
Reason: SelfAttested